संख्या-25/2018/362 ई-2/तेरह-2018-34/2012

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 27 मार्च,2018

विषय:-देश के बाहर अल्कोहल निर्यात करने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-60/नौ-2018-14/अ0नि0/831/किनौनी/देश के बाहर, दिनांक 01 फरवरी,2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 01 फरवरी,2018 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त अल्कोहल वर्ष 2017-18 में मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि0, किनौनी, जनपद मेरठ को उनकी अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत 200,00,000(दो सौ लाख) बल्क लीटर ई0एन0ए0/रेक्टीफाइड स्प्रिट देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति एतद्द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रदेश में शीरा/अल्कोहल की कमी होने पर देश के बाहर ई0एन0ए0/ रेक्टीफाइड स्प्रिट के निर्यात पर रोक लगाये जाने पर आसवक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in